**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक: 24.04.2026**

**फेमा के अंतर्गत चल रही जांच के संबंध में विदेशी डेबिट कार्डों के माध्यम से धन के प्रवाह से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा देशव्यापी तलाशी अभियान चलाया गया।**

प्रवर्तन निदेशालय, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा 18 एवं 19 अप्रैल, 2026 को विदेशी बैंक डेबिट कार्डों का उपयोग कर नियामकीय माध्यमों को दरकिनार करते हुए धन की निकासी एवं उपयोग के संदेह से संबंधित मामले में विभिन्न राज्यों में स्थित छह परिसरों में तलाशी अभियान संचालित किया गया। यह जांच भारत में "द टिमोथी इनिशिएटिव (टीटीआई)" नामक एक आंदोलन तथा उससे जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों से संबंधित है।

जांच से यह तथ्य सामने आया कि संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित ट्रुइस्ट बैंक से जुड़े विदेशी बैंक डेबिट कार्ड भारत में लाए गए और देश के विभिन्न राज्यों में एटीएम से बार-बार नकद निकासी के लिए उपयोग किए गए। निकाली गई राशि का उपयोग बाद में भारत में "द टिमोथी इनिशिएटिव (टीटीआई)"- जो एक एफसीआरए के अंतर्गत अपंजीकृत संस्था है, की गतिविधियों से संबंधित व्ययों की पूर्ति हेतु किया गया। जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि देश के विभिन्न भागों में कई व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता है। माइका मार्क के कब्जे से 24 विदेशी डेबिट कार्ड बरामद किए गए, जिसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर के आधार पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन द्वारा बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय रोका गया, जब वह इन कार्डों को भारत में लेकर आ रहा था। आगे की जांच में यह भी सामने आया कि इन विदेशी डेबिट कार्डों का उपयोग कर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर छत्तीसगढ़ के धमतरी एवं बस्तर क्षेत्र में, असामान्य एवं संदिग्ध नकद निकासी की गई, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में लगभग ₹6.5 करोड़ की राशि निकाली गई है। यह पाया गया है कि इन विदेशी डेबिट कार्डों का उपयोग सुनियोजित तरीके से बड़ी मात्रा में नकद निकासी के लिए किया जा रहा है, जो संगठित नेटवर्क की संभावित संलिप्तता की ओर संकेत करता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस प्रकार की समानांतर नकद-आधारित अर्थव्यवस्था का उभरना भारत की सुरक्षा एवं वित्तीय अखंडता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है तथा अवैध गतिविधियों के लिए धन के प्रवाह को भी प्रोत्साहित कर सकता है।

जांच से यह भी सामने आया कि एटीएम से की गई ऐसी नकद निकासी तथा उसके उपयोग का लेखा-जोखा रखने के लिए एक ऑनलाइन बिलिंग एवं लेखांकन मंच का उपयोग किया जा रहा था। उक्त मंच का संचालन कथित रूप से भारत के बाहर स्थित संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। आगे की जांच में यह भी पाया गया कि नवंबर, 2025 से अप्रैल, 2026 की अवधि के दौरान विदेशी बैंकों द्वारा जारी कार्डों के माध्यम से लगभग ₹95 करोड़ की राशि भारत में प्रवाहित की गई।

तलाशी के दौरान 25 विदेशी बैंक डेबिट कार्ड, ₹40 लाख की नकद राशि तथा विभिन्न अपराध-संकेती डिजिटल साक्ष्य, उपकरण एवं दस्तावेज जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।